धनीदेवी

बनाम

संत बिहारी एवं अन्य

18 अक्टूबर, 1968

[एस.एम. सिकरी एवं आर.एस. बचावट, न्यायमूर्तिगण]

मोटर यान अधिनियम, 4 / 1939, धारा 45 और 57— अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन—आवेदक की मृत्यु—आवेदक के वाहन का आधिपत्य उसकी विधवा को प्राप्त होना— क्या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को यह शक्ति है कि वह विधवा को आवेदन का संचालन करने की अनुमति दे।

अपीलकर्ता के पति, उत्तर बिहार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक मार्ग पर स्थायी स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र के लिए किए गए आवेदनों में से एक आवेदक थे। उक्त आवेदन की लंबित अवस्था के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात् अपीलकर्ता उनके सभी परिवहन वाहनों के आधिपत्य में आ गई। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने अपीलकर्ता को आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी और उसके पक्ष में अनुज्ञापत्र प्रदान करने का निर्देश दिया। इस आदेश के विरुद्ध असफल आवेदकों द्वारा दायर अपील को राज्य परिवहन प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया, किंतु मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 64 ए के अंतर्गत पुनरीक्षण में परिवहन मंत्री ने अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया। परिवहन मंत्री के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गईं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात् अपीलकर्ता इस न्यायालय में आई। विचार हेतु प्रश्न यह था कि क्या किसी स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर, उसके परिवहन वाहनों के संबंध में, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह वाहनों के आधिपत्य में आने वाले व्यक्ति को मृत आवेदक द्वारा दायर आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दे।

अभिनिर्धारित किया गया : उच्च न्यायालय द्वारा परिवहन मंत्री के आदेश को निरस्त करना त्रुटिपूर्ण था।

किसी परिवहन वाहन के कब्जे में होने मात्र से कोई व्यक्ति अनुज्ञापत्र प्राप्त करने का अधिकारस्वरूप हकदार नहीं हो जाता। उसका एकमात्र अधिकार मोटर यान अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत आवेदन करने का और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस आवेदन पर विचार किए जाने का है। यदि अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसकी मृत्यु

हो जाती है, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को धारा 61(2) के अंतर्गत उस अनुज्ञापत्र को उस व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने का अधिकार है, जो अनुज्ञापत्र से आच्छादित वाहनों के आधिपत्य में आता है। यदि आवेदक की मृत्यु उसके वाहनों के संबंध में अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने से पूर्व, उसके आवेदन के अंतिम निस्तारण से पहले हो जाती है, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह मृत आवेदक के स्थान पर उस व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर दे, जो वाहनों के आधिपत्य में आता है। चूँकि आवेदन में माँगी गई राहत वाहनों के आधिपत्य पर निर्भर और उससे संबंधित है, इसलिए ऐसा आवेदन वाहनों के आधिपत्य में आने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर पुनर्जीवित किया जा सकता है। [509 जी–510 सी]

वेरप्पा पिल्लै बनाम रमन एवं रमन लिमिटेड, [1952] एस.सी.आर. 583, 595 — संदर्भित।

धारा 57 के अंतर्गत, स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र या सार्वजनिक वाहक अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन नियत समय के भीतर किया जाना आवश्यक है और उसे विहित रीति से प्रकाशित किया जाना चाहिए। उससे संबंधित अभ्यावेदन भी नियत समय के भीतर किए जाने चाहिए। यदि आवेदन करने के लिए नियत समय की समाप्ति के पश्चात् आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो वाहनों के आधिपत्य में आने वाला व्यक्ति, समय के व्यतीत हो जाने के कारण, अपने अधिकार से नया आवेदन नहीं कर सकता।

उत्तराधिकारी तब तक अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसे अपने पूर्ववर्ती द्वारा दायर आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति न दी जाए, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे ऐसा करने की अनुमति क्यों न दी जाए।

धारा 57 आवेदक की मृत्यु पर उत्पन्न होने वाली स्थिति से संबंधित नहीं है, और न ही उसने उत्तराधिकारी के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन करने अथवा उसे अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के विरुद्ध आपत्तियाँ दायर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है। किसी भी अधिनियम या वैधानिक नियम के अभाव में, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई भी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिस्थापन की अनुमति देने या उसे अस्वीकार करने के विषय में पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। वह कब्जे से संबंधित विवादित प्रश्नों की दीर्घकालिक जाँच-पड़ताल प्रारंभ करने के लिए बाध्य नहीं है। न ही वह प्रतिस्थापन की अनुमति देने के लिए बाध्य है, यदि ऐसा आदेश कार्यवाही में अनुचित विलंब करेगा अथवा अन्यथा सामान्य रूप से जनहित के प्रतिकूल होगा। [510 सी–511 ए]

यही सिद्धांत धारा 57(1), 58(8) तथा 58 के अंतर्गत किए गए आवेदनों पर, साथ ही धारा 64 के अंतर्गत अपीलों तथा धारा 64 ए के अंतर्गत पुनरीक्षणों पर भी लागू होगा। [511 बी]

रतनलाल बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ए.आई.आर. 1957 ऑलाहाबाद 471 — अस्वीकृत ।

मीनाक्षी बनाम मैसूर एस.टी.ए. ट्रिब्यूनल, ए.आई.आर. 1963 *मैसूर* 279; *हनुमान ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम मीनाक्षी,* सिविल अपील संख्या 794/63, दिनांक 20-12-63; *मरुथवरन बनाम बालासुब्रमणियम,* ए.आई.आर. 1963 मद्रास 292; *कुप्पुसामी बनाम रामचंद्रन,* ए.आई.आर. 1964 मद्रास 356; तथा *डायरेक्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स बनाम हो पो सांग एवं अन्य,* [1961] ए.सी. 901 — संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्याएँ 1264 और 1265/ 1968 ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्याएँ 235 और 287/ 1967 में दिनांक 18.03.1968 को पारित निर्णय और आदेश से उद्भूत अपीलें।

सी. के. दफ्तरी, महान्यायवादी, सप्तमी झा और बी. पी. झा — अपीलकर्ता की ओर से (दोनों अपीलों में)।

डी. गोबर्धुन — प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (दोनों अपीलों में)।

बी. पी. सिंह और आर. बी. दातर — प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से (दोनों अपीलों में)।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया द्वारा **न्यायमूर्ति, बचावट** कई व्यक्तियों ने, जिनमें राम बिचार सिंह भी सम्मिलित थे, 15.06.1963 से पूर्व तथा उत्तर बिहार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तिथि से पहले, छपरा–मसरख–सीवान–गोपालगंज मार्ग के लिए स्थायी स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र केप्राप्ति हेतु आवेदन दायर किए। राम बिचार सिंह की मृत्यु 12.04.1965 को, उनके आवेदन के अंतिम निस्तारण से पूर्व, हो गई। उनकी विधवा धानी देवी उनके द्वारा छोड़े गए परिवहन वाहनों के कब्जे में उत्तराधिकारी हुईं और तदनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 61(2) के अंतर्गत, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने उनके द्वारा अन्य मार्गों के लिए धारित सभी अनुज्ञापत्र उनके नाम अंतरण कर दिए। दिनांक 04.05.1966 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने सभी आवेदनों पर विचार किया, धानी देवी को उनके पति द्वारा दायर आवेदन का संचालन करने की अनुमति दी और उन्हें अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने का निर्देश दिया। संत बिहारी शर्मा, चंद्रकृति सिंह तथा अन्य असफल आवेदकों ने धारा 64 के अंतर्गत उक्त आदेश के विरुद्ध

अपीलें दायर कीं। अपीलों की सुनवाई के समय यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त आदेश अधिकारिता के बिना है, क्योंकि धनी देवी को अपने पति द्वारा दायर आवेदन का संचालन करने का कोई अधिकार नहीं था। राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण ने इस तर्क को स्वीकार किया, अपीलित आदेश को निरस्त किया और संत बिहारी शर्मा को अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने का निर्देश दिया तथा कुछ शर्तों का पालन न होने की स्थिति में चंद्रकृति सिंह को द्वितीय वरीयता प्रदान की। धनी देवी, चंद्रकृति सिंह तथा एक अन्य आवेदक ने धारा 64 ए के अंतर्गत उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर कीं। परिवहन मंत्री ने धनी देवी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश को पुनः बहाल कर दिया। उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का आदेश अधिकारिता के बिना नहीं था। संत बिहारी शर्मा और चंद्रकृति सिंह ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएँ दायर कीं। उच्च न्यायालय ने याचिकाएँ स्वीकार कीं, धनी देवी को अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने वाले आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को विधि के अनुसार निस्तारण हेतु वापस भेज दिया। वर्तमान अपीलें, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध, धनी देवी द्वारा दायर की गई हैं।

इस अपील में एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, उसके परिवहन वाहनों के कब्जे में आने वाले व्यक्ति को, मृत आवेदक द्वारा दायर आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति देने की शक्ति क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पास है या नहीं। इस विषय में मोटर यान अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं पाया जाता। दंड प्रक्रिया संहिता का आदेश 22 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत होने वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 भी लागू नहीं होती, क्योंकि मृतक राम बिचार सिंह की संपत्ति के लिए कोई निष्पादक या प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया था।

अध्याय IV के अंतर्गत जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अनुसार ही किसी परिवहन वाहन का उपयोग किया जा सकता है और उसके बिना नहीं। अध्याय IV के अंतर्गत चार प्रकार के अनुज्ञापत्र जारी किए जा सकते हैं, अर्थात्— स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र (धाराएँ 46 से 48), कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अनुज्ञापत्र (धाराएँ 49 से 51), प्राइवेट कैरियर अनुज्ञापत्र (धाराएँ 52 और 53) तथा पब्लिक कैरियर अनुज्ञापत्र (धाराएँ 54 से 56)। किसी परिवहन वाहन के कब्जे में होने मात्र से कोई व्यक्ति अनुज्ञापत्र पाने का अधिकारिक रूप से हकदार नहीं हो जाता; देखें वीरप्पा पिल्लई *बनाम रमन एंड रमन लिमिटेड*[1] *(1)* । उसका एकमात्र अधिकार

1 [1952] एससीआर 583 591 595 3 सप्प. सी.आई/69-16

यह है कि वह धारा 45 के अंतर्गत अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन कर सके और उस आवेदन पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विचार किया जाए। यदि अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को धारा 61(2) के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है कि वह अनुज्ञापत्र को उस व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित कर दे, जो अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित वाहनों के कब्जे में आता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उसके आवेदन के अंतिम निपटारे से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को यह शक्ति है कि वह मृत आवेदक के स्थान पर वाहनों के कब्जे में आने वाले व्यक्ति को प्रतिस्थापित करे और उस उत्तराधिकारी को आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दे। क्योंकि आवेदन में माँगी गई राहत वाहनों के कब्जे पर निर्भर करती है और उससे संबंधित है, इसलिए ऐसा आवेदन उन वाहनों के कब्जे में आने वाले व्यक्ति के आग्रह पर पुनर्जीवित किया जा सकता है।

धारा 57 के अंतर्गत, स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र या पब्लिक कैरियर अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन नियत समय के भीतर किया जाना चाहिए और उसे निर्धारित विधि से प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। उससे संबंधित अभ्यावेदन भी नियत समय से पूर्व किए जाने चाहिए। यदि आवेदनों के लिए नियत समय की समाप्ति के पश्चात किसी आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो समय व्यतीत हो जाने के कारण, वाहन के कब्जे में आने वाला उत्तराधिकारी अपने स्वतंत्र अधिकार में नया आवेदन नहीं कर सकता। उत्तराधिकारी तब तक अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसे अपने पूर्ववर्ती द्वारा दायर आवेदन का संचालन करने की अनुमति न दी जाए, और हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उसे ऐसा करने की अनुमति क्यों न दी जाए। जहाँ उत्तराधिकारी को आवेदन का संचालन करने की अनुमति दी जाती है, वहाँ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उत्तराधिकारी से संबंधित कई व्यक्तिगत बातों पर विचार करना पड़ सकता है, जैसे— उसका अनुभव, सेवाओं के संचालन के लिए उसके पास उपलब्ध सुविधाएँ तथा उसका प्रतिकूल अभिलेख, यदि कोई हो। मृत आवेदक से संबंधित व्यक्तिगत विषयों पर अब विचार नहीं किया जा सकता। प्रतिद्वंद्वी आवेदकों को, यदि आवश्यक हो, उत्तराधिकारी को अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के विरुद्ध आपत्तियाँ दायर करने का उपयुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। धारा 57 न तो आवेदक की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है और न ही उसने उत्तराधिकारी के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन करने या उसे अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के विरुद्ध आपत्तियाँ दायर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है। किसी विधि या वैधानिक नियम के अभाव में, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इस स्थिति से निपटने के लिए कोई भी युक्तिसंगत प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। जैसा कि अमेरिकी न्यायशास्त्र,

द्वितीय संस्करण, खंड 2 (प्रशासनिक विधि), अनुच्छेद 340, पृष्ठ 155 में कहा गया है:— "जहाँ कोई विधि किसी प्रशासनिक एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली किसी विशेष प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं करती, वहाँ वह एजेंसी अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कोई भी युक्तिसंगत विधि अपना सकती है।" (देखें— *कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम*, खंड 73 (लोक प्रशासनिक निकाय एवं प्रक्रिया), अनुच्छेद 73, पृष्ठ 399)। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिस्थापन की अनुमति देने या उसे अस्वीकार करने के विषय में पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। वह उत्तराधिकार से संबंधित विवादित प्रश्नों की लंबी जाँच-पड़ताल करने के लिए बाध्य नहीं है। न ही वह प्रतिस्थापन की अनुमति देने के लिए बाध्य है, यदि ऐसा आदेश कार्यवाही में अनुचित विलंब करेगा या अन्यथा सामान्य रूप से जनहित के प्रतिकूल होगा।

धारा 57(1) के अंतर्गत संविदा वाहक अनुज्ञा अथवा निजी वाहक अनुज्ञा के लिए आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है, और इसलिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अपने पूर्ववर्ती द्वारा दायर आवेदन का संचालन उत्तराधिकारी को करने की अनुमति अधिक सहजता से दे सकता है। इसी प्रकार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धारा 57(8) के अंतर्गत अनुज्ञा के परिवर्तन अथवा धारा 58 के अंतर्गत अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदनकर्ता की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति से भी निपट सकता है। इसी प्रकार, धारा 64ए के अंतर्गत अपील या धारा 64ए के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका की लंबितावस्था के दौरान आवेदनकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, अपीलीय अथवा पुनरीक्षण प्राधिकरण, यदि वह उपयुक्त समझे, तो मृत आवेदनकर्ता के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी को कार्यवाही के अभिलेखों में प्रतिस्थापित करने की शक्ति रखता है।

अब हम विचाराधीन विषय पर संबंधित निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं। र*तनलाल बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण*[2] में, एक मुन्नालाल की मृत्यु उसके द्वारा दायर उन अपीलों की लंबितावस्था के दौरान हो गई, जो उसके स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार करने तथा किसी अन्य आवेदनकर्ता को अनुज्ञा जारी करने के आदेशों के विरुद्ध थीं। अपीलीय प्राधिकरण ने उसके पुत्र रतनलाल को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया। रतनलाल ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। उसने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करने का अधिकार न तो उत्तराधिकार में प्राप्त होने योग्य था और न ही हस्तांतरणीय, तथा रतनलाल के उत्तराधिकारी को अपीलों को जारी रखने का कोई अधिकार नहीं था। *मीनाक्षी बनाम मैसूर*

---

2 (1) ए.आई.आर. 1957 ऑल 471.

एस.टी.ए. अधिकरण[3] में, गोपालासेट्टी सहित कई व्यक्तियों ने स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र केप्राप्ति के लिए आवेदन किया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने किसी अन्य आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्रदान करने का निर्णय लिया। गोपालासेट्टी के अतिरिक्त अन्य असफल आवेदनकर्ताओं ने आदेश के विरुद्ध अपीलें दायर कीं। अपीलों की लंबितावस्था के दौरान गोपालासेट्टी की मृत्यु हो गई। अपीलीय अधिकरण ने अपीलें स्वीकार कीं और मामले को नवीन निपटान हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को प्रत्यावर्तित कर दिया। मामला पुनः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पास जाने के बाद, गोपालासेट्टी की विधवा को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया और उसे उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन का संचालन करने की अनुमति दी गई। सभी आवेदनों पर विचार करने के पश्चात, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने गोपालासेट्टी की विधवा को अनुज्ञा प्रदान कर दी। अपीलीय अधिकरण ने यह कहते हुए उक्त आदेश को निरस्त कर दिया कि विधवा गोपालासेट्टी द्वारा दायर आवेदन को जारी नहीं रख सकती। विधवा द्वारा दायर रिट याचिका पर मैसूर उच्च न्यायालय ने अपीलीय अधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि गोपालासेट्टी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का संचालन उसकी विधवा द्वारा किया जा सकता है। तथापि, इस न्यायालय ने *हनुमान ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम मीनाक्षी*[4] में मैसूर उच्च न्यायालय के निर्णय को एक अन्य बिंदु पर पलट दिया, परंतु तब इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने से इंकार कर दिया कि क्या उत्तराधिकारी को उसके पूर्ववर्ती द्वारा दायर आवेदन का संचालन करने की अनुमति दी जा सकती है। मरुथुवनन बनाम बालसुब्रमणियम[5] में, एक फर्म के दो भागीदारों ने अनुज्ञा केप्राप्ति के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। अपील की लंबितावस्था के दौरान भागीदारों में से एक की मृत्यु हो गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपील को जीवित बचे भागीदार द्वारा जारी रखा जा सकता है। *कुप्पुस्वामी बनाम रामचंद्रन*[6] में, एक लक्ष्मी ने उसके पास विद्यमान मंच-वाहन अनुज्ञाओं के परिवर्तन के लिए आवेदन किया। उसका आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उसने धारा 64ए के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की। पुनरीक्षण याचिका की लंबितावस्था के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण ने उसके अवयस्क विधिक प्रतिनिधियों के संरक्षक

---

3 (2) ए.आई.आर. . 1963 मैसूर , 279.

4 (1) सी.ए. सं. 794/63 निर्णित 20-12-1963.

5 (2) ए.आई.आर. 1963 मद. 292.

6 (3) ए.आई.आर. '!964 मद.. 356,

को पुनरीक्षण याचिका जारी रखने की अनुमति दी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश को निरस्त किया और मांगा गया परिवर्तन प्रदान कर दिया। दो प्रतिद्वंद्वी संचालकों ने आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर कीं। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लक्ष्मी का विधिक प्रतिनिधि पुनरीक्षण याचिका जारी रख सकता है। पूर्वोक्त कारणों से, हम इलाहाबाद के निर्णय से सहमत होने के इच्छुक नहीं हैं। *डायरेक्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स बनाम हो पो सांग एवं अन्य*[7] में, प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया कि हांगकांग में किसी क्राउन पट्टेदार का, सार्वजनिक निर्माण निदेशक के प्रस्ताव के अनुसरण में, भूमि-स्वामी और किरायेदार अध्यादेश (हांगकांग), 1947 की धारा 3 बी के अंतर्गत गवर्नर-इन-काउंसिल द्वारा पुनर्निर्माण प्रमाणपत्र केप्राप्ति हेतु याचिका और प्रतियाचिका पर विचार कराए जाने का अधिकार, न तो कोई अर्जित या प्राप्त अधिकार अथवा विशेषाधिकार है, जैसा कि हांगकांग की व्याख्या अध्यादेश की धारा 10 (जो व्याख्या अधिनियम, 1889 की धारा 38 के अनुरूप है) के अर्थ में समझा जाता है; और यह कि अध्यादेश के निरसन पर कार्यवाहियाँ जारी नहीं रखी जा सकती थीं तथा गवर्नर धारा 3 बी के अंतर्गत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था। यह निर्णय प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में हम मोटर यान अधिनियम के निरसन का लंबित अनुज्ञा-अनुदान आवेदन पर प्रभाव से संबंधित नहीं हैं।

अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आते हैं। अपीलकर्ता के पति राम बिचार सिंह ने स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र की प्राप्ति के लिए एक आवेदन किया था। आवेदन की लंबितावस्था के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने अपीलकर्ता को उनके द्वारा दायर आवेदन का संचालन करने की अनुमति दे दी। उसने प्रतिस्थापन हेतु कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया था; तथापि, इस आधार पर न तो कोई आपत्ति उठाई गई और न ही प्रतिद्वंद्वी दावेदारों द्वारा आपत्तियाँ दायर करने के लिए कोई स्थगन माँगा गया। कहा जाता है कि राम बिचार सिंह अपने पीछे अन्य उत्तराधिकारी भी छोड़ गया था, किन्तु उनके पक्षकार के रूप में सम्मिलित न किए जाने के आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने अपीलकर्ता को अनुज्ञा प्रदान करने का निर्देश दिया। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने यह पाया कि अपीलकर्ता एक अनुभवी एवं विस्थापित संचालक थी। उस निष्कर्ष को अपील में चुनौती नहीं दी गई। अपील में केवल यही बिंदु उठाया गया कि राम बिचार सिंह का आवेदन उपशमित हो गया था तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उसे आवेदन जारी रखने की अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं थी। अपीलीय प्राधिकरण ने उक्त तर्क को स्वीकार कर लिया तथा अपीलकर्ता के

---

7 (4) [1961) ए.सी. 901.

पक्ष में अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के निर्देश देने वाले आदेश को अपास्त कर दिया। परिवहन मंत्री ने उचित रूप से अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को अपास्त कर दिया तथा यह अभिनिर्धारित किया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उसके मृत पति द्वारा दायर आवेदन का संचालन करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति है। हमारे मत में, उच्च न्यायालय द्वारा परिवहन मंत्री के आदेश को अपास्त करना त्रुटिपूर्ण था।

परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं, उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है और परिवहन मंत्री का आदेश बहाल किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

जी.सी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।